संख्या- 9 /2019/ 790 / 46-2-19-102 (13)/ 2018

प्रेषक,

पवन कुमार गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 01 मई, 2019

विषय- उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु कर्ज के रूप में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 के पत्र संख्या-2048/यू.पी.एफ./प्र.प्र. (लेखा)60 /2019 दिनांक 03.04.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की रूग्ण सहकारी चीनी मिल बिलासपुर, कायमगंज, बदॉयू, साथा एवं सुल्तानपुर के कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में ऋण के रूप में प्राविधानित रू.1845.35 लाख (रूपया अटठारह करोड़ पैतालीस लाख पैतीस हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा आपको अधिकृत करते हैं कि कृपया वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-1 के पैरा-209 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इस धनराशि को राजकोष से आहरित कर उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की रूग्ण सहकारी चीनी मिल बिलासपुर, कायमगंज, बदॉयू, साथा एवं सुल्तानपुर के कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु तत्काल उपलब्ध कराएँ:-

- ऋण की वापसी ब्याज सहित 10 वर्ष की अवधि में की जाएगी।
- ब्याज की दर 14 प्रतिशत वार्षिक होगी तथा नियमित भुगतान किए जाने की दशा में 2.50 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। इस प्रकार नियमित भुगतान की दशा में ब्याज की प्रभावी दर 11.50 प्रतिशत (साढे ग्यारह प्रतिशत) होगी।
- मूलधन के प्रतिदान की पहली किश्त शासनादेश निर्गत होने की तिथि से ठीक एक वर्ष बाद देय हो जाएगी। मूलधन का प्रतिदान 10 बराबर किश्तों में किया जाएगा।
- ब्याज की पहली किश्त शासनादेश निर्गत होने की तिथि से ठीक एक वर्ष बाद देय हो जाएगी। ब्याज का ऑगणन शासनादेश जारी होने की तिथि से किया जाएगा। मूलधन का प्रतिदान होने के साथ-साथ मूलधन के घटते शेष पर ब्याज का ऑगणन सम्पूर्ण वर्ष के लिए किया जाएगा।
- उक्त् धनराशि उसी प्रयोजन के लिए व्यय की जाएगी, जिस हेतु स्वीकृत की गई है।

2- उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 ऋण के आहरण की सूचना उप महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ.प्र. प्रयागराज को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि, लेखा शीर्षक सूचित करते हुए भेजेगें।

3- संघ द्वारा ऋण की किश्तों का भुगतान किया जाए या उनके द्वारा ब्याज जमा किया जाये, महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रकार से अवश्य भेजें:-

(1) कोषागार का नाम-

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) चालान संख्या तथा दिनांक-

(3) जमा धनराशि किश्त ब्याज

(4) लेखाशीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया किश्त ब्याज

(5) शासनादेश संख्या और एस0एल0आर0 का सन्दर्भ

(6) पिछले जमा का सन्दर्भ

4- चीनी आयुक्त आहरण का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कराएँ।

5- भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाये कि संघ ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है, ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहें और ऋणी संस्था महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध करा देंगें।

6- इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जाएगी। प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य रूप से शासन/ महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा।

7- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियन्त्रक/ मुख्य/ वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

8- सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 के प्रश्नगत रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों के अवशेष देयों हेतु सम्बन्धी संलग्न विवरण के अनुसार व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा।

9- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक- "6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-04-चीनी-101-सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज-15-रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु कर्ज-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जाएगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-344/दस-2019 दिनांक 30.04.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(पवन कुमार गंगवार)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-9 /2019/ 790 (1) /46-2-19 तददिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय) नियन्त्रण अनुभाग-6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4

http://shasanadesh.up.nic.in

5- संयुक्त सचिव (श्री गुप्त)/नोडल अधिकारी (बजट), चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 9 /2019/790 / 46-2-19-102 (13)/2018 दिनांक 01 मई, 2019 का संलग्नक।

उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों के अवशेष वेतन, मजदूरी एवं भत्ते की देयता हेतु शासकीय ऋण का मिलवार/ मदवार विवरण-

क्र0सं0	चीनी मिल का नामजनपद /	धनराशि (लाख रूपये में)
1	2	5

1	बिलासपुर (रामपुर)	332.67
2	कायमगंज (फर्रूखाबाद)	77.83
3	बदायूँ (बदायूँ)	328.19
4	साथा (अलीगढ)	321.55
5	सुल्तानपुर (नपुरसुल्ता)	785.11
	योग-	1845.35

(रूपए अटठारह करोड पैतालीस लाख पैतीस हजार मात्र)

(शिव शंकर द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in